संपादकीय सारांश

बच्चों को अच्छा खाना सिखाना स्कूल से ही शुरू होना चाहिए

संदर्भ

- पोषण संबंधी प्रयास पारंपरिक रूप से जीवन के प्रथम 1,000 दिनों (गर्भाधान से दो वर्ष की आयु तक) पर केन्द्रित रहे हैं।
    - हालाँकि, अब शोध इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगले 4,000 दिन - किशोरावस्था तक - समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
    - इस चरण के दौरान अच्छा पोषण बच्चों को विकास में मदद कर सकता है तथा दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आधार तैयार कर सकता है।
    - इस प्रकार, स्कूलों को बच्चों को न केवल यह सिखाना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाना चाहिए कि कैसे अच्छा खाना चाहिए, तथा स्वस्थ आदतें उनमें शुरू से ही डालनी चाहिए।

आधुनिक खाद्य पर्यावरण में चुनौतियाँ -

- आज के बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां भोजन आसानी से ऐप्स के माध्यम से उपलब्ध है, उसका बहुत अधिक विपणन किया जाता है, और वह अक्सर अस्वास्थ्यकर होता है।
- उनके खान-पान के विकल्प अक्सर पोषण संबंधी ज्ञान या परंपराओं की तुलना में विज्ञापनों, साथियों और आदतों से अधिक प्रभावित होते हैं।
- **परिणामस्वरूप, कई बच्चे:**
    - नाश्ता छोड़ देते है
    - फलों और सब्जियों का कम सेवन करते है
    - अत्यधिक मात्रा में चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का सेवन करते है
- **आहार विविधता:** आहार विविधता - विभिन्न खाद्य समूहों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना - अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
    - फिर भी, अधिकांश बच्चे, जिनमें भारत के बच्चे भी शामिल हैं, सतत विकास लक्ष्य 2 (भूखमरी समाप्त करना) के तहत निर्धारित न्यूनतम आहार विविधता (एमडीडी) मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
    - विविधता का अभाव स्वास्थ्य के लिए खराब परिणाम देता है तथा खाद्य प्रणालियों और शिक्षा में गहरी खामियों को दर्शाता है।
- **खाद्य एवं पोषण शिक्षा में कमी:** आज अधिकांश कक्षाओं में या तो खाद्य एवं पोषण शिक्षा का पूर्ण अभाव है या पाठ्यक्रम पुराना और अप्रासंगिक है। मुख्य मुद्दे ये हैं:
    - कोई संरचित या आयु-उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं
    - आकर्षक शिक्षण संसाधनों का अभाव
    - शिक्षकों को खाद्य साक्षरता प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है
    - संरचित शिक्षण के बिना, स्कूल बच्चों में सार्थक भोजन संबंधी आदतें विकसित करने में असमर्थ हैं।

एक संरचित, समग्र पाठ्यक्रम की आवश्यकता -

एक सफल पोषण पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

- प्रीस्कूल से शुरू करना और मिडिल स्कूल तक जारी रखना
- बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ बढ़ना
- भोजन, स्वास्थ्य, पहचान और पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में सिखाना
- जैव-विविध आहार (स्थानीय, मौसमी, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक खाद्य पदार्थ) को बढ़ावा देना
- पर्यावरणीय स्थिरता पर खाद्य विकल्पों के प्रभाव पर प्रकाश डालना

- **विषयों में ये शामिल हो सकते हैं:**
    - मानव शरीर की कार्यप्रणाली
    - आहार विविधता का महत्व
    - खाद्य प्रणालियों और पर्यावरणीय प्रभावों को समझना
    - पारंपरिक खाद्य ज्ञान के प्रति सम्मान

स्कूली जीवन में खाद्य शिक्षा को एकीकृत करना -

पोषण शिक्षा को स्कूल के रोज़मर्रा के अनुभवों का हिस्सा होना चाहिए, न कि कभी-कभार जागरूकता अभियान तक सीमित होना चाहिए। इसमें शामिल हैं:

- सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई, आयु-उपयुक्त सामग्री के साथ साप्ताहिक पाठ
- पौष्टिक विकल्प प्रदान करने वाली स्वास्थ्यप्रद स्कूल कैंटीन
- रसोई उद्यान जहां छात्र अपना भोजन स्वयं उगाते हैं
- व्यावहारिक कौशल सिखाने वाली सरल पाककला कक्षाएं
- भोजन की बर्बादी कम करने और स्वस्थ भोजन पर छात्रों के नेतृत्व में अभियान

दीर्घकालिक आदतों और मूल्यों के निर्माण के लिए रटने की बजाय वास्तविक जीवन की गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान अवसर और आगे की राह -

- भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम ने एकीकृत शिक्षा के लिए रास्ते खोल दिए हैं। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्न की आवश्यकता है:
    - एक स्पष्ट और व्यापक पोषण पाठ्यक्रम
    - पूरे वर्ष नियमित, समर्पित सत्र
    - बेहतर शिक्षण संसाधन
- **व्यावहारिक शिक्षण उपकरणों के साथ उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक:** बच्चों को न केवल शिक्षार्थी के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि अपने परिवारों और समुदायों में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उचित खाद्य साक्षरता के साथ, वे कर सकते हैं:
    - बेहतर स्कूल भोजन की वकालत करना
    - भोजन की बर्बादी कम करना
    - स्वस्थ और टिकाऊ खान-पान प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना

निष्कर्ष

अंततः, बच्चों को अच्छा खाना सिखाना सिर्फ भोजन से कहीं अधिक है - यह उन्हें कुपोषण, अति उपभोग, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक क्षति से जूझ रहे विश्व में स्वस्थ, दयालु और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करने के बारे में है।

स्रोत: **The Hindu: Teaching children to eat well must begin in school**

भारत को प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने पर विचार करना चाहिए

संदर्भ

उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की 25वीं वर्षगांठ ने विदेशों में भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने पर चर्चा को नए सिरे से शुरू कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रवासी भारतीयों का महत्व -

- **धन प्रेषण का प्रमुख स्रोत**: प्रवासी भारतीय प्रतिवर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.5% धन प्रेषित करते हैं - जो कि भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से प्राप्त 42 बिलियन डॉलर से काफी अधिक है।
- **व्यापक आर्थिक प्रभाव**: ये धन प्रेषण भारत के व्यापार और चालू खाता घाटे को पाटने में मदद करते हैं तथा विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में योगदान देते हैं।
- **धन प्रेषण स्रोतों की बदलती संरचना**: जबकि खाड़ी देश पारंपरिक रूप से प्रमुख स्रोत थे, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अब अधिक योगदान दे रही हैं, जो प्रवासी समुदाय की विकसित होती आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
- **अन्य वित्तीय प्रवाहों की तुलना में अधिक**: विदेशों में रहने वाले भारतीयों के आर्थिक महत्व को उजागर करते हुए, विप्रेषण ने पूंजी प्रवाह के कई अन्य रूपों को पीछे छोड़ दिया है।

भारत की अब तक की नीतिगत प्रतिक्रिया -

- **OCI योजना का शुभारंभ (2005)**: 2001 की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत ने अपने प्रवासी समुदाय के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए **ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) योजना** शुरू की।
- **OCI के तहत सीमित अधिकार**: OCI कार्डधारकों को मतदान, सार्वजनिक पद धारण करने और कृषि भूमि के स्वामित्व जैसे प्रमुख अधिकारों से वंचित किया जाता है।
- **OCI की निरस्तता**: चूंकि OCI का दर्जा निरस्त किया जा सकता है, इसलिए प्रवासी समुदाय में कई लोग इसे सुनिश्चित अधिकार के बजाय एक विशेषाधिकार के रूप में देखते हैं।
- **"द्वितीय श्रेणी की नागरिकता" के रूप में माना जाना**: पूर्ण राजनीतिक और संपत्ति अधिकारों की कमी के कारण कई प्रवासी भारतीय भारत के नागरिक जीवन में पूर्ण भागीदारी से वंचित महसूस करते हैं।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 5 से 11

- **अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता**
  - **26 जनवरी 1950** को भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की गई यदि वे:
    - भारत में पैदा हुए थे, या
    - माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, या
    - संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत में निवास किया हो।
- **अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार**
  - **19 जुलाई 1948** से पहले पाकिस्तान से आये प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे यदि वे:
    - प्रवास के बाद से भारत में रह रहे थे, या
    - पंजीकरण से पहले कम से कम छह महीने तक भारत में रहने के बाद खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत कराया।
- **अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार**
  - **1 मार्च 1947** के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में पुनर्वास परमिट के तहत भारत लौट आए, वे पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकते थे।
- **अनुच्छेद 8: विदेश में रहने वाले भारतीयों के नागरिकता के अधिकार**

  - भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग (जिन क्षेत्रों में उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए थे) भारतीय राजनयिक या वाणिज्य दूतावास कार्यालयों में नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
- **अनुच्छेद 9: दोहरी नागरिकता नहीं**
  - कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाती है।
- **अनुच्छेद 10: अधिकारों की निरंतरता**
  - कानून द्वारा प्रदत्त नागरिकता के प्रावधान तब तक जारी रहेंगे जब तक संसद द्वारा उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता।
- **अनुच्छेद 11: संसद की शक्ति**
  - संसद को नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।

नागरिकता अधिनियम 1955 -

अनुच्छेद-11 के अंतर्गत संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955, भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके:

- **जन्म से: 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे - स्वतः ही नागरिक।**
  - **1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004** के बीच जन्मे - यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो वे भारतीय नागरिक हैं।
  - **3 दिसंबर 2004** को या उसके बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।
- **वंशानुक्रम से**: भारत के बाहर भारतीय नागरिक माता-पिता के यहां जन्मे, एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण के अधीन।
- **पंजीकरण द्वारा**: भारतीय मूल के व्यक्तियों या निवास आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकों से विवाहित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- **प्राकृतिकीकरण द्वारा**: यह नागरिकता किसी विदेशी को दी जाती है जो कम से कम **12 वर्षों से भारत में रह रहा हो** तथा अन्य शर्तों को पूरा करता हो।
- **क्षेत्र के समावेश द्वारा**: यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो सरकार उन लोगों को निर्दिष्ट करती है जो नागरिक होंगे।

नागरिकता खोने के तरीके -

- **त्याग द्वारा**: स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करना।
- **समाप्ति द्वारा**: यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
- **वंचना द्वारा**: सरकार धोखाधड़ी से प्राप्त की गई नागरिकता या देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकती है।

भारत में निवासियों के प्रकार -

- **नागरिक:** संविधान के तहत पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकार, जिनमें मतदान, सार्वजनिक पद धारण करना और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं।
    - जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, या क्षेत्र के समावेश के माध्यम से अर्जित।
- **अनिवासी भारतीय (NRI):** शिक्षा, रोजगार या अन्य उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक।
    - भारतीय पासपोर्ट तो होगा लेकिन अधिकार सीमित होंगे (जैसे, विदेश में रहते हुए मतदान का अधिकार नहीं होगा)।
- **भारतीय मूल के व्यक्ति (POI):** भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (चार पीढ़ियों तक) जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या कुछ अन्य देशों के नागरिक नहीं हैं।
    - पहले **POI** कार्ड रखे जाते थे (अब OCI के साथ विलय कर दिए गए हैं)।
- **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI):** भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला दर्जा।
    - इसमें वीज़ा-मुक्त यात्रा और संपत्ति के अधिकार जैसे कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं, लेकिन मतदान, सार्वजनिक पद धारण करना और कुछ सरकारी नौकरियां इसमें शामिल नहीं हैं।
- **विदेशी:** गैर-नागरिक जो भारतीय मूल के नहीं हैं और जिन्हें भारत में रहने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है।
    - विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन।
- **अवैध प्रवासी:** वे लोग जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अपनी वीज़ा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहते हैं।
    - कुछ मामलों में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा शासित होते हैं, और आम तौर पर निर्वासन के अधीन होते हैं।

संशोधन

- **CAA 2019 (नागरिकता संशोधन अधिनियम): यह 31 दिसंबर 2014** से पहले भारत आए **पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान** से सताए गए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है।
    - इसमें यह भी कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड रखने वाले लोग - एक आव्रजन स्थिति जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है - यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वे अपना दर्जा खो सकते हैं।

दोहरी नागरिकता की अनुमति देने वाले एशियाई देश

- **कंबोडिया:** निवेश, प्राकृतिककरण, वंश या विवाह के माध्यम से दोहरी नागरिकता की अनुमति है। नागरिक अपनी मूल नागरिकता त्यागे बिना कई पासपोर्ट रख सकते हैं।
- **बांग्लादेश:** यह कानून व्यक्तियों को अन्य देशों की नागरिकता रखते हुए बांग्लादेश की नागरिकता बनाए रखने की अनुमति देता है। दोहरी नागरिकता निवेश, विवाह या प्राकृतिककरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- **श्रीलंका:** यह योजना उन लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करती है, जिन्होंने किसी अन्य राष्ट्रीयता प्राप्त करके अपनी श्रीलंकाई नागरिकता त्याग दी है, या जो विदेश से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वे दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र हैं।
    - नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में रोजगार, संपत्ति का स्वामित्व, निवेश या श्रीलंकाई नागरिक से विवाह जैसे कारक शामिल हैं।
- **थाईलैंड:** स्थायी निवास, रोजगार और थाई नागरिकों से विवाह जैसे मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशियों को दोहरी नागरिकता की अनुमति है।
- **ताइवान:** मूलनिवासी नागरिकों और शिक्षा, विज्ञान या प्रौद्योगिकी में असाधारण कौशल वाले विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है।

- **हांगकांग:** गुणवत्तापूर्ण प्रवासी प्रवेश योजना (क्यूएमएएस) और निवेश के अवसरों जैसी योजनाओं के माध्यम से निवास और संभावित नागरिकता के लिए मार्ग प्रदान करता है।
- **पाकिस्तान:** संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 19 विशिष्ट देशों के साथ दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है।
- **फिलीपींस:** फिलीपींस में जन्मे व्यक्तियों, फिलीपींस मूल के व्यक्तियों तथा देश के बाहर फिलीपींस माता-पिता से जन्मे व्यक्तियों को दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति है।

दोहरी नागरिकता के पक्ष में तर्क -

- **प्रवासी संबंधों को मजबूत करना:** दोहरी नागरिकता भारतीय प्रवासियों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा कर सकती है, जिससे उन्हें भारत के विकास और वैश्विक प्रभाव में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **आर्थिक योगदान:** प्रवासी समुदाय निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार सहयोग में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **वैश्विक गतिशीलता और लचीलापन:** दोहरी नागरिकता प्रदान करने से विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने गोद लिए गए देशों में अवसरों को छोड़े बिना अपनी विरासत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- **सॉफ्ट पावर में वृद्धि:** दोहरी नागरिकता वाला एक मजबूत प्रवासी समुदाय अनौपचारिक राजदूत के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे।
- **अन्य देशों में मिसालें:** अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देश बिना किसी बड़ी समस्या के दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से भारत वैश्विक प्रथाओं के साथ जुड़ सकता है।

दोहरी नागरिकता के विरुद्ध तर्क -

- **विभाजित निष्ठाएं:** दोहरी नागरिकता के कारण परस्पर विरोधी राजनीतिक निष्ठाएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से भारत और दूसरे राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय विवादों के दौरान।
- **संप्रभुता का क्षरण:** दोहरी नागरिकता वाले लोगों को वोट देने और नीति निर्धारण को प्रभावित करने की अनुमति देने से विदेशी निष्ठा वाले व्यक्तियों को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार मिल सकता है, जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा हो सकता है।
- **प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं:** दोहरी नागरिकता का प्रबंधन करने से कराधान, कानूनी विवाद और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न होंगी, खासकर यदि दोनों देशों के कानूनों के बीच टकराव उत्पन्न हो।
- **सुरक्षा जोखिम:** दोहरी नागरिकता वाले लोग अपनी स्थिति का दुरुपयोग जासूसी, अवैध वित्तीय गतिविधियों या भारत के हितों के लिए हानिकारक अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं।
- **असमान व्यवहार:** दोहरी नागरिकता के विशेषाधिकार, धनी और उच्च स्थिति वाले प्रवासी समुदायों को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन पैदा हो सकता है।
- **राजनीतिक हेरफेर:** भारत की राजनीतिक प्रक्रियाओं पर विदेशी प्रभाव का खतरा है, खासकर यदि दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को वोट देने या सार्वजनिक पद धारण करने की अनुमति दी जाती है।

आगे की राह -

- **एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन:** एक व्यापक दोहरी नागरिकता ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, प्रवासी प्रतिनिधियों और सुरक्षा सलाहकारों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना।
    - इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और कूटनीतिक विचारों के विरुद्ध संवर्धित प्रवासी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में संशोधन:** संविधान के अनुच्छेद 9 (जो वर्तमान में दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाता है) और नागरिकता अधिनियम, 1955 की प्रासंगिक धाराओं में लक्षित संशोधन का प्रस्ताव करना।

    - कानूनी अस्पष्टता को रोकने के लिए दोहरे नागरिक अधिकारों (जैसे, मतदान, संपत्ति स्वामित्व) और बहिष्करण (जैसे, कुछ सार्वजनिक कार्यालय, सशस्त्र बल) के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
- **स्तरीकृत नागरिकता मॉडल प्रस्तुत करना:** एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण विकसित करें - गैर-संवेदनशील नागरिक और आर्थिक अधिकारों के लिए पूर्ण दोहरी नागरिकता, और रणनीतिक डोमेन के लिए "सीमित" नागरिकता।
    - मतदान और संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति दी जाएगी, जबकि उच्च सुरक्षा वाले पदों या कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारी के लिए पात्रता को सीमित किया जाएगा।
- **OCI/पीआईओ योजनाओं को रूपांतरित और समेकित करना:** OCI और पीआईओ को नई दोहरी नागरिकता श्रेणी में विलय करना, जिससे मौजूदा कार्डधारकों को स्वचालित रूप से उन्नत किया जा सके तथा उनके अधिकारों में वृद्धि की जा सके।
    - आवेदन, नवीनीकरण और निरसन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थिति को विशेषाधिकार के बजाय अधिकार के रूप में माना जाए।
- **सुरक्षा उपाय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का निर्माण:** सुरक्षा और राजकोषीय जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत जांच, कर-अनुपालन जांच और धन-शोधन विरोधी प्रोटोकॉल स्थापित करना।
    - दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी परिभाषाओं, डेटा-साझाकरण और कांसुलरी सुरक्षा को संरेखित करने के लिए मेजबान देशों के साथ द्विपक्षीय संधियों या समझौता ज्ञापनों पर बातचीत करना।

स्रोत: **Indian Express: Dual citizenship is an idea whose time has come**